

राजस्थान सरकार
राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद



क्रमांक 4(19) आरडी / नरेगा / पार्ट-3 / 2009-10

जयपुर, दिनांक:- १५/१२/०९

—::कार्यालय आदेश::—

राजस्थान रोजगार गांरटी परिषद द्वारा नरेगा योजनात्तर्गत संविदा आधार पर अनुबंध पर नियोजित कार्यक्रम अधिकारियों की अनुबंध अवधि नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 15.12.2009 को समाप्त हो रही अवधि के कार्यक्रम अधिकारियों की सूची सलंगन कर निर्देशित किया जाता है कि इन कार्यक्रम अधिकारियों का कार्यभार सबंधित पंचायत समिति में कार्यरत विकास अधिकारी को सभलवाया जावें।

उपयुक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

सलंगन:- उपरोक्तानुसार

१५/१२/०९
(तन्मय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजि सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजि सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- 4 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 5 जिला कलैक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ~~संस्थान~~ सबंधित को ऐजकर निवेदन है।
- 6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समरस्त ~~जिला~~ परिषद। कि उक्त मैं से किसी ने माननीय उच्चिन्धानपालप से कोई आक्रम प्राप्त किया है तो तदनुसार पालना की जावे।
- 7 सबंधित विकास अधिकारी, राजस्थान।
- 8 सबंधित कार्यक्रम अधिकारी, राजस्थान।
- 9 रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, १५/१२/०९,

कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	कार्यक्रम अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1	भरतपुर	वैर	अर्चना
2	भीलवाड़ा	शाहपुरा	श्री महेश शर्मा
3	चित्तौडगढ़	बेगू	श्री हनुमान सिंह पटेल
4	झूंगरपुर	बिछीवाड़ा	श्री अमित यादव
5	जोधपुर	भोपालगढ़	सरिता विश्नोई
6	जोधपुर	शेरगढ़	हरीश दहिया
7	नागौर	डीडवाना	सुमीत कुमार
8	पाली	मारवाड़	ओम प्रकाश राठौड़
9	सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर	फैज अहमद


 परियोजना निदेशक, इंजीएस १२।०९